



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092026-275938
CG-DL-E-02092026-275938

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खंड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]
No. 523]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में,

(1) हरियाणा के नीचे,

(क) क्रम संख्या 1 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"1.	चोकसी लेबोरेटरीज लिमिटेड, पंचकुला, पंजीकरण सं. 24/एन/एफएसएसएआई/2014 प्लॉट नंबर 198, ग्राउंड फ्लोर, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, पंचकुला, हरियाणा, भारत	जैविक, रासायनिक";

(ख) क्रम संख्या 22 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"22.	फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (लोकेशन 2), पंजीकरण सं. 90/एन/एफएसएसएआई/2026 डी-28, इन्फोसिटी II, सेक्टर 33, गुरुग्राम, हरियाणा	जैविक, रासायनिक, यांत्रिक एवं रेडियोलॉजिकल";

(2) राजस्थान के नीचे, क्रम संख्या 2 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"2.	आईएसएसपीएल लिमिटेड, पंजीकरण सं. 22/एन/एफएसएसएआई/2014 पहली और दूसरी मंजिल, बी-11जी, सीईजी टावर, औद्योगिक क्षेत्र, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान	जैविक, रासायनिक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में, गुजरात के नीचे, क्रम संख्या 4 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"4.	हार्टिक लैब हेल्थकेयर एंड रिसर्च सेंटर एलएलपी, पंजीकरण सं. 33/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2016 201-202, सहज आर्केड, अहमदाबाद, गुजरात	जैविक, रासायनिक";

3. दक्षिणी क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में,

(1) आंध्र प्रदेश के नीचे, "विम्टा लैब्स लिमिटेड, नेल्लोर" से सम्बंधित क्रम संख्या 3 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा;

(2) तमिलनाडु के नीचे,

(क) क्रम संख्या 8 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"8.	मोनार्क न्यूक्लियर काउंटिंग लैबोरेटरी (मोनार्क बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई), पंजीकरण सं. 39/एस/एफएसएसएआई/2016 37-ए, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, थिरुमाझीसाई, चेन्नई - 600124	जैविक, रासायनिक एवं रेडियोलॉजिकल";

(ख) क्रम संख्या 33 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"34.	एमएसएमई टेस्टिंग सेंटर, पंजीकरण सं. 103/एस/एफएसएसएआई/2026 65/1, जी.एस.टी. रोड, गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु	जैविक, रासायनिक";

(3) तेलंगाना के नीचे, "नेशनल कमोडिटीज़ मैनेजमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड-NCML लैब्स, हैदराबाद" से सम्बंधित क्रम संख्या 5 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा;

4. पूर्वी क्षेत्र से सम्बंधित 'घ' में, पश्चिम बंगाल के नीचे,

(1) "ऑयल लेबोरेटरी, रासायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, कोलकाता" से सम्बंधित क्रम संख्या 4 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा;

(2) क्रम संख्या 13 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"13.	एन. डी. इंटरनेशनल लैब एलएलपी पंजीकरण संख्या 26/ई/एफएसएसएआई/2023 17, ज्ञान गोस्वामी सारणी, 107बी, ब्लॉक-एफ, न्यू अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	जैविक, रासायनिक"

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./292/2026-27]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं . क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 13 जुलाई, 2026 के माध्यम से की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2026

F.No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

(1) under **Haryana**,

(a) for serial number 1, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"1.	Choksi Laboratories Limited, Panchkula Reg. No. 24/N/FSSAI/2014 Plot No. 198, Ground Floor, Industrial Area, Phase-II, Panchkula, Haryana, India	Biological, Chemical";

(b) for serial number 22, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"22.	Fare Labs Private Limited (Location 2), Reg. No. 90/N/FSSAI/2026 D-28, Infocity II, Sector 33, Gurgaon, Haryana	Biological, Chemical, Mechanical & Radiological";

(2) under **Rajasthan**, for serial number 2, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"2.	ISSPL Limited Reg. No. 22/N/FSSAI/2014 1st and 2nd Floor, B-11G, CEG Tower, Industrial Area, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan	Biological, Chemical";

2. In 'B' related to WESTERN REGION, under **Gujarat**, for serial number 4, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"4.	HITECHLAB HEALTHCARE & RESEARCH CENTRE LLP Reg. No. 33/W/FSSAI/2016 201-202, Sahaj Arcade, Ahmedabad, Gujarat	Biological, Chemical";

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

(1) under **Andhra Pradesh**, serial number 3, relating to "Vimta Labs Ltd, Nellore" and respective entries shall be omitted;

(2) under **Tamil Nadu**,

(a) for serial number 8, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"8.	Monarch Nuclear Counting Laboratory (A Unit of Monarch Biotech Pvt. Ltd.), Reg. No. 39/S/FSSAI/2016 37-A, SIDCO Industrial Estate, Thirumazhisai, Chennai - 600124	Biological, Chemical & Radiological";

(b) after serial number 33, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"34.	MSME Testing Centre, Reg. No. 103/S/FSSAI/2026 65/1, G.S.T Road, Guindy, Chennai, Tamil Nadu	Biological, Chemical";

(3) under **Telangana**, serial number 5, relating to "National Commodities Management Services Limited-NCML Labs, Hyderabad" and respective entries shall be omitted;

4. In 'D' related to EASTERN REGION, under **West Bengal**,

(1) serial number 4, relating to "Oil Laboratory, Department of Chemical Technology, Kolkata" and respective entries shall be omitted;

(2) for serial number 13, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“13.	N. D. International Lab LLP, Reg. No. 26/E/FSSAI/2023 17, Jnan Goswami Sarani, 107B, Block-F, New Alipore, Kolkata, West Bengal	Biological, Chemical”

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./292/2026-27]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended *vide* notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 13th July, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.